प्रैस हेतु सूचना (प्रैस विज्ञप्ति सं 8/2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकारण

भादूविप्रा ने 'आईएमटी के लिए चिन्हित किए गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम' पर अनुशंसाएं जारी कीं।

नई दिल्ली, 4 फरवरी 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'आईएमटी के लिए चिन्हित किए गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम' पर अनुशंसाएं जारी की हैं।**

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 02.08.2023 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से अनुरोध किया था कि :

(क) आईएमटी के लिए 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज, 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर अनुशंसाएं प्रदान करें।

(ख) नवीनतम एनएफएपी/ आईटीयू के रेडियो विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित विनियामक/ तकनीकी आवश्यकताओं सहित इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएं प्रदान करें।

3. दिनांक 01.09.2023 को भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग को प्रेषित उत्तर में मौजूदा स्पेक्ट्रम बैंड अर्थात 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज के संबंध में दिनांक 11.04.2022 को प्रेषित अपनी अनुशंसाएं को दोहराया और यह कहा कि मौजूदा बैंड में बैंड प्लान, ब्लॉक आकार और संदर्भित शर्तो के अधीन स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा ने दूरसंचार

विभाग को सूचित किया कि नए स्पेक्ट्रम बैंडों अर्थात 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड के संबंध में प्राधिकरण अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू करेगा।

4. इस संबंध में, हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 04.04.2024 को 'आईएमटी के लिए पहचाने गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी' विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। इसके उत्तर में, 12 हितधारकों ने टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं और चार हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर दिनांक 10.07.2024 को आभासी (वर्चुअल) मोड के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने '**आईएमटी के लिए चिन्हित किए गए 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में आवृत्ति स्पेक्ट्रम**' विषय पर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया है। इन सिफारिशों के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं:

(क) **आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में 37-37.5 गीगाहर्ट्ज और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज को स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखा जाना चाहिए।**

(ख) **42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज में डिवाइस इकोसिस्टम की अनुपलब्धता के कारण, यह विवेकपूर्ण होगा कि 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज को आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में नीलामी के लिए नहीं रखा जाए। आईएमटी के लिए 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज के लिए दूरसंचार विभाग उचित समय पर अलग से संदर्भ भेज कर प्राधिकरण की अनुशसाएं मांग सकता है।**

(ग) **37-40 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति रेंज के लिए बैंड प्लान एन260 को टीडीडी-आधारित डुप्लेक्सिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनाया जाना चाहिए।**

(घ) **बैंड एन260 (37-40 गीगाहर्ट्ज) आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ एलएसए (दूरसंचार सर्किल/ मेट्रो) के आधार पर 100 मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक आकार पर की जानी चाहिए।**

(ङ) **आवृत्ति बैंड एन260 (37-40 गीगाहर्ट्ज) में स्पेक्ट्रम कैप नीलामी में डाले गए कुल स्पेक्ट्रम का 40% होना चाहिए, और स्पेक्ट्रम कैप के उद्देश्य से इसको 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।**

(च) बैंड एन260 (37-40 गीगाहर्ट्ज) के लिए न्यूनतम रोल-आउट दायित्व एनआईए, 2024 में 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए निर्धारित रोल-आउट दायित्वों के समान होना चाहिए, और न्यूनतम रोल-आउट दायित्व सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी मौजूदा और नए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए।

(छ) एक्सेस सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी') और यूनीफाईड लाइसेंस के तहत एम2एम सेवा प्रदाताओं (श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी') को भी आवृत्ति बैंड एन260 (37-40 गीगाहर्ट्ज) के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ज) 37-40 गीगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज अनुशंसित आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) निम्नानुसार है:

एलएसए का नाम	एलएसए कैटेगरी	अनुशंसित आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)
आंध्र प्रदेश	ए	49
असम	सी	9
बिहार	सी	23
दिल्ली	मैट्रो	76
गुजरात	ए	43
हरियाणा	बी	11
हिमाचल प्रदेश	सी	4
जम्मू एवं कश्मीर	सी	3
कर्नाटक	ए	34
केरल	बी	16
कोलकाता	मैट्रो	27
मध्य प्रदेश	बी	25
महाराष्ट्र	ए	54
मुंबई	मैट्रो	67
नार्थ ईस्ट	सी	3
ओडिशा	सी	10
पंजाब	बी	17

एलएसए का नाम	एलएसए कैटेगरी	अनुशंसित आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)
राजस्थान	बी	21
तमिलनाडु	ए	39
यू.पी.(पूर्व)	बी	26
यू.पी.(पश्चिम)	बी	25
पश्चिम बंगाल	बी	16

(झ) **37-37.5 गीगाहर्ट्ज और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन के भुगतान शर्तों के लिए दो विकल्पों (i) अग्रिम भुगतान विकल्प, और (ii) 20 समान वार्षिक किश्त विकल्प, की अनुमति दी जानी चाहिए।**

6. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 37-37.5 गीगाहर्ट्ज और 37.5-40 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति की उपलब्धता उच्च क्षमता, कम देरी (लो-लैटन्सी) संचार नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम बनाएगी। भादूविप्रा ने एक्सेस सेवा प्रदाताओं के अतिरिक्त, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और मशीन-टू-मशीन सेवा प्रदाताओं को नीलामी में भाग लेने के लिए अनुमति देने की अनुशंसा की है।

7. अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल कुमार चौधरी
सचिव, भादूविप्रा
दूरभाष : 20907748 / 20907749
ईमेल: secretary@trai.gov.in